

हुवम
में जारी हुए

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुवम की तामील
में जारी हुए

12.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री ईशवरसिंह भाटी उपस्थित।
विप्रार्थी संख्या 1 से 4, 17, 24 से 27 के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग
उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 5 से 16, 18 से 23, 28 से 65 के बावजूद तामीली
अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि
प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी
खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके
प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माटें
व सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह
जाते हैं। प्रार्थीगण की भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। अतः
श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबन्दी आदेश प्रदान
किया जावें। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया उक्त
आवेदन के संबंध में वर्तमान में विवादित आराजी सोलर कम्पनी की दी गई है,
जिससे जरीब चलाकर सीमाज्ञान संभव नहीं होने से नेखमबन्दी के आदेश की
पालना किया जाना संभव नहीं होने से आवेदन खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक
अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार होने से
अपनी आराजी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी
भूमि की पक्की नेखमबन्दी बाबत् आवेदन पेश किया गया है तथा तहसीलदार
शिव से सीमाज्ञान रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा
आवेदन पर आपत्ति करते हुए वर्तमान में विवादित आराजी सोलर कम्पनी की
दी गई है, जिससे जरीब चलाकर सीमाज्ञान संभव नहीं होने से नेखमबन्दी के
आदेश की पालना किया जाना संभव नहीं होने से आवेदन खारिज करने का
निवेदन किया गया है, जबकि उक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं
किया गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्ड्ड खातेदार होने से अपनी
खातेदारी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है तथा साथ ही यदि पक्षकारान् को
कोई उजर एतराज है तो वे नेखमबन्दी पालना के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु
स्वतंत्र है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाकर
पूर्व में सीमाज्ञान करते हुए नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं
होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा,
तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 54, 63, 64, 65 रकबा
क्रमशः 239.18, 128.08, 2.08, 129.10 बीघा विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में
सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा
नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु भू-अभिलेख
निरीक्षक गूंगा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण
एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित
तारीख मुकदर कर की जावें। कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा
करें। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबन्दी की
कार्यवाही नहीं की जावें। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से मुहम्मद
इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक गूंगा
बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपस्थित अधिवक्ता
शिव (शिव)